

# 11 कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, वदीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर 11

पत्रांक

दिनांक, गोपेश्वर,

15/09

/2020

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक,  
एवं नोडल अधिकारी, उत्तराखण्ड,  
फॉरेस्ट कॉलोनी, इन्दिरानगर देहरादून,

विषय:-

जनपद चमोली में पी0एम0जी0एस0वाई0 के अन्तर्गत नन्दप्रयाग घाट मोटर मार्ग के किमी0 15 से जाखनी मोटर मार्ग निर्माण हेतु 2.3975 है0 वन भूमि का हस्तान्तरण।

संदर्भ:-

भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय देहरादून की पत्र सं0 08बी/यू0सी0पी0/06/67/2020/एफ0सी0/652 दिनांक 17.07.2020

महोदय,

उपरोक्त विषयक क्रम में उक्त मोटर मार्ग के निर्माण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव में पायी गई कमियों का निराकरण कर अधिशासी अभियन्ता, एन0पी0सी0सी0, नन्दप्रयाग ने अपने पत्र सं0 23/UKZ/PMGSY/2020 दिनांक 09.09.2020 से निम्नानुसार इस कार्यालय को प्रेषित की गयी है जिसकी प्रति संलग्नको सहित आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है।

क्र. सं.	आपत्ति	निराकरण
01	CA area proposed in degraded forest area. Details may be removed from Para-L in part-I which is designated for Non forest land. State govn. may review the same and provide the correct details in this regard.	The correction is made on Part -L in part-I.
02	As Per DSS analysis 1 ha area found in MDF. State govt. May replace 1ha area with some other suitable area.	The Correction is made and related document is uploaded.
03	As per tree enumeration list, total affected trees are 54 out of which 45 trees in forest area and 9 trees area in non forest area but details of 54 trees found uploaded in part-II para-4. State govt. May uploaded in part-II para-4. State govt. May clarify the discrepancy and submit uploaded the correct information.	The Correction is made in part II ,para-4.
04	Name of CA area mentioned in para-13 in Navali-5 compartment no-2 but in CA scheme it is mentioned as compartment no 1 and in CA suitability certificate compartment no 11, State govt. May clarify the decrpancy and submit/upload the correct information.	The Correction is made in par-13 and CA scheme and CA Suitability certificate and related document is uploaded.
5	उपरोक्त के अतिरिक्त (i) KML file पर अलग रंग से जाखनी लिंक रोड दर्शाया गया है। यह स्पष्ट नहीं है कि यह प्रस्तावित रोड है अथवा नहीं। राज्य सरकार इस सम्बन्ध में स्पष्ट विवरण प्रस्तुत करे।	प्रस्तावित मोटर मार्ग बिजार से होते हुए कुछ दूरी पर दो भागों में विभाजित हो रहा है, जिसमें एक भाग जाखनी एवं दूसरा भाग कांडा तक प्रस्तावित है कांडा के विद्यार्थियों को प्राथमिक शिक्षा के लिए जाखनी एवं बिजार स्थित प्राथमिक विद्यालय एवं उच्च प्राथमिक शिक्षा हेतु बिजार स्थित उच्च प्राथमिक विद्यालय पर निर्भर रहना पड़ता है और वर्तमान समय में इन स्कूलों तक पहुंचने का एकमात्र साधन पैदल मार्ग है। मोटर मार्ग बनने से कांडा गांव से स्कूल की पहुंच आसान हो जायेगी एवं उच्च शिक्षा एवं स्वास्थ्य सेवाओं हेतु जिला मुख्यालय या अन्य जगह जाने के लिए भी सुगमता होगी। इस मार्ग के

	समरेखण से न्यूनतम वृक्ष प्रभावित हो रहे हैं। क्षेत्र जन प्रतिनिधियों एवं जनता की सहमति से उक्त समरेखण का निर्धारण किया गया है जो भूगर्भवता द्वारा भी उपयुक्त पाया गया है।
(ii) प्रस्तावित मोटर मार्ग एक नदी को Cross कर रहा है। अतः पुल निर्माण की भी आवश्यकता रहेगी। राज्य सरकार उसका भी विवरण इस कार्यालय में प्रस्तुत करे तथा Component wise विवरण में इसे सम्मिलित किया जाय।	उपरोक्त प्रस्ताव में केवल मोटर मार्ग का निर्माण किया जाना है। प्रस्तावित मोटर मार्ग के चैनेज 0/6 पर पुल का निर्माण अलग से PWD, PMGSY खण्ड कर्णप्रयाग द्वारा प्रस्तावित है। जिसकी लम्बाई 54मी0 है एवं प्रस्तावित मोटर मार्ग के जाखणी गांव की ओर जाने वाली लिंक रोड के अंतिम छोर पर एक गंधेरा पड़ता है जो बरसात के मौसम में पानी से भर जाता है। उस गंधेरे पर वर्ल्ड बैंक गौचर द्वारा एक पैदल पुल प्रस्तावित है। पुल को Component wise विवरण में सम्मिलित कर अपलोड कर दिया गया है।

भवदीय,

(आशुतोष सिंह)

प्रभागीय वनाधिकारी,  
बद्रीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर।

पत्रांक:- 972 / 12-1 दिनांकित।

प्रतिलिपि:- वन संरक्षक, गढ़वाल वृत्त, उत्तराखण्ड, पौड़ी को उपरोक्तानुसार सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:- अधिशासी अभियन्ता, एन0पी0सी0सी0, नन्दप्रयाग, को सूचनार्थ प्रेषित।

(आशुतोष सिंह)

प्रभागीय वनाधिकारी,  
बद्रीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर।





**NATIONAL PROJECTS CONSTRUCTION CORPORATION LIMITED**  
(A Govt. Of India Enterprises)  
Uttarakhand Zonal Office Dehradun

पत्रांक सं० 22/UKZ/PMGSY/2020.

दिनांक: 09.09.2020

सेवा में,  
श्रीमान प्रभागीय वनाधिकारी  
बद्रीनाथ वन प्रभाग

विषय: जनपद चमोली में पी० एम० जी० एस० वाई० के अंतर्गत नंदप्रयाग घाट मोटर मार्ग के कि०मी० 15 से जाखणी मोटर मार्ग निर्माण हेतु 23975 हे० वन भूमि का हस्तांतरण

संदर्भ: डबी/यू.पी.सी/06/67/2020/एफ.सी./652 dated 17/07/2020

महोदय,

उपरोक्त विषयांतर्गत संदर्भित पत्र के क्रम में आपको अवगत कराना है कि प्रस्तावित मोटर मार्ग के वन भूमि प्रस्ताव पर पायी गई इंगित आपत्तियों का निराकरण कर दिया गया है।

Pointwise replies of EDS dated 17.07.2020 for the proposal no. FP/UK/ROAD/38448/2019

S.No	EDS	REPLY
1.	CA area Proposed in degraded forest area. Details may be removed from Para-L in Part-I which is designated for Non forest land . State govn. may review the same and provide the correct details in this regard.	The correction is made on Para-L in Part-I.
2.	As Per DSS analysis 1 ha area found in MDF. State govn. May replace 1 ha area with some other suitable area.	The correction is made and related document is uploaded .
3.	As per tree enumeration list, total affected trees are 54 out of which 45 trees in forest area and 9 trees are in non forest area but details of 54 trees found uploaded in Part-II para-4. State govn. May clarify the discrepancy and submit upload the correct Information.	This point is to be replied by DFO, Badrinath Van Prabhag.
4.	Name of CA area mentioned in para-13 in Navali-5 compartment no.-2 but in CA scheme it is mentioned as compartment no. 1 and in CA suitability certificate compartment no. 11. State govn. May clarify the discrepancy and submit /upload the correct Information.	The correction is made in para-13 and CA scheme and CA suitability certificate and related document is uploaded .
5.	उपरोक्त के अतिरिक्त	
(i)	KML file पर अलग रंग से जाखनी लिंक रोड दर्शाया गया है। यह स्पष्ट नहीं है कि यह प्रस्तावित रोड है अथवा नहीं। राज्य सरकार इस संबंध में स्पष्ट विवरण प्रस्तुत करे।	प्रस्तावित मोटर मार्ग बिजार से होते हुए कुछ दूरी पर दो भागों में विभाजित हो रहा है, जिसमें एक भाग जाखणी एवं दूसरा भाग कांडा तक प्रस्तावित है। कांडा गांव के विद्यार्थियों को प्राथमिक शिक्षा के लिए जाखनी एवं बिजार

Zonal Office : 98, Nehru colony, Dalanwala, Dehradun, Uttarakhand 248001, mail: [ukz@npsccl.co.uk](mailto:ukz@npsccl.co.uk) Tel No 0135-2675725

		<p>स्थित प्राथमिक विद्यालय एवं उच्च प्राथमिक शिक्षा हेतु बिजार स्थित उच्च प्राथमिक विद्यालय पर निर्भर रहना पड़ता है और वर्तमान समय में इन स्कूलों तक पहुंचने का एकमात्र साधन पैदल मार्ग है। मोटर मार्ग बनने से कांडा गांव से स्कूल की पहुंच आसान हो जाएगी। एवं उच्च शिक्षा एवं स्वास्थ्य सेवाओं हेतु जिला मुख्यालय या अन्य जगह जाने के लिए भी सुगमता होगी। इस मार्ग के समरेखण से न्यूनतम वृक्ष प्रभावित हो रहे हैं। क्षेत्रीय जन प्रतिनिधियों एवं जनता की सहमति से उक्त समरेखण का निर्धारण किया गया है जो भूगर्भ वेता द्वारा भी उपयुक्त पाया गया है।</p>
(ii)	<p>प्रस्तावित मोटर मार्ग एक नदी को cross कर रहा है। अतः पुल निर्माण की भी आवश्यकता रहेगी। राज्य सरकार उसका भी विवरण इस कार्यालय में प्रस्तुत करें तथा component wise विवरण में इसे सम्मिलित किया जाए।</p>	<p>उपरोक्त प्रस्ताव में केवल मोटर मार्ग का निर्माण किया जाना है। प्रस्तावित मोटर मार्ग के चैनल 0/6 पर पुल का निर्माण अलग से PWD, PMGSY खंड कर्णप्रयाग द्वारा प्रस्तावित है। जिसकी लंबाई 54 m है एवं प्रस्तावित मोटर मार्ग के जाखणी गांव की ओर जाने वाली लिंक रोड के अंतिम छोर पर एक गधेरा पड़ता है जो बरसात के मौसम में पानी से भर जाता है। उस गधेरे पर बल्ड बैंक गौचर द्वारा एक पैदल पुल प्रस्तावित है। पुल को component wise विवरण में सम्मिलित कर अपलोड कर दिया गया है।</p>

संलग्न: यथोपरि !

भवदीय  
  
 उपप्रबंधक

उत्तराखंड जोन  
 एन. पी.सी.सी.

प्रतिनिधि

2) जोनल मैनेजर, एन पी सी सी, उत्तराखंड जोन, देहरादून